

Line Fee Paid
GRN No. 2002024384
अवधि भूगो से फ्लॉट
ख्या ... 1158 ... मुख्या है।



श्री हृदय कुमार
पत्रालय नवीन
उत्तराखण्ड-14612
मेदिनीनगर पलामू



रसदी हृदय कुमार विवाही नं० 1000000/
एलएलआर नं० 0-11580 जफा.
श्रीजा एमएडिफिका जलसयन उमोएलएलएलएल
केमाला शिवा-मजसुलएलएलएलएल
रुकि है 22.9.2020

A (1) 30000
L. L. R. 3.....
P. Fee
30000
(विक्रय-पत्र)

(1) लेख्यकारी का नाम वो पूरा पता :-

श्री हृदय कुमार तिवारी पिता का नाम स्व० भागेश्वर तिवारी,
जाति कान्य कुब्ज ब्राह्मण, धर्म-हिन्दु, निवासी मौजा कुमाड़
उर्फ बड़कागांव, पत्रालय रजवाडीह, थाना सदर मेदिनीनगर,
जिला पलामू, राज्य झारखण्ड, पेशा-खेती व व्यवसाय,
राष्ट्रीयता- भारतीय। आधार नम्बर 6046 0756 5807
मो०नं०-8709570733, PAN NO APFPT0740J विक्रेता।

(2) लेख्यघारी का नाम वो पूरा पता :-

श्री विनायक शर्मा पिता का नाम श्री लक्ष्मी कुमार शर्मा,
जाति ब्राह्मण, धर्म हिन्दु, निवासी मौजा बारालोटा,
(सुमीत्रालय भवन), पत्रालय जी०एल०ए० कॉलेज कैम्पस,
थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू, राज्य झारखण्ड, पेशा-
नौकरी, राष्ट्रीयता-भारतीय। आधार नं० 7128 4535 8372
मो०नं० 7903876059 PAN NO. GJKPS1755P क्रेता।

पहचान
पत्रालय नवीन
उत्तराखण्ड-14612
मेदिनीनगर पलामू

खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा ए० डी०	चौहद्दी
73 (तिहतर)	1158 (ग्यारह सौ अंठावन)	0-11 (ग्यारह डी०)	उ०- पक्की राडक द०- रासरवती देवी पति श्री कृष्ण बिहारी तिवारी पु०-विश्राम दूबे प०-आहर पिण्ड प्लॉट 1157

पैमाईस :- उत्तर से दक्षिण की लम्बाई पूरब भूजा 81 फीट 0 ईच तथा पश्चिम भूजा 95 फीट 0 ईच है एवं पूरब से पश्चिम की चौड़ाई उत्तर भूजा 50 फीट 0 ईच तथा मध्य भूजा 55 फीट 0 ईच तथा दक्षिण भूजा 63 फीट 0 ईच है कुल 4791.6 वर्गफीट होता है। विक्रय भूमि का नजरी नक्शा बनाकर मूल वसिका में संलग्न की जा रही है, जिसमें विक्रय भूमि को लाल रंग से दिखाई गई है। यह नजरी नक्शा मुल दस्तावेज का अभिन्न अंग वो अंश है।

सलाना मालगुजारी-मो० 1 (एक रूपया) अलावे शेष।

लगान पाने वाला-झारखण्ड सरकार वजरिये अंचलाधिकारी मेदिनीनगर, जिला पलामू।

लेख्यकारी का कथन है कि विक्रय पत्र अन्दर वर्णित की गयी भू: सम्पति हमारी रैयती सम्पति है, जो स्वयं अपने नाम से खरीदगी वजरिये विक्रय पत्र केवाला द्वारा प्राप्त है। जिसका संपूर्ण विवरण वसीका अंदर खाना सं० 5 में वर्णित की गई है जिसपर मैं निर्विवाद रूप से दखल कब्जे में कायम हूँ।

उपर्युक्त विक्रय भूमि पर किसी भी प्रकार का वाद विवाद, व्यवहार न्यायालय या राजस्व न्यायालय में लम्बित नहीं है। तथा इस जमीन पर मैं किसी भी प्रकार की ऋण सरकारी बैंक या गैरसंस्थान से नही लिया हूँ और ना ही हमारी जमीन बन्धक

(Mortgage) में रखी गयी है। संक्षेप में हमारी जमीन हकियत के सभी दोषों से पूर्णतः मुक्त वो निरकलंक है।

यह कि वर्तमान समय हमें लहाव की जमीन खरीदने वास्ते काफी रूपये की आवश्यकता है। जिसे प्रबन्ध करना बगैर जायदाद सम्पत्ति बिक्री किये अन्य किसी दुसरे मद से संभव नहीं है। इसलिए मैं अपने तमाम बातों पर विचार-विमर्श कर वो घर-परिवार से राय-मशविरा कर सबों की सहमती से ही अपनी खरीदगी संपत्ति जो इस वसीका में दर्ज हैं। इसे बिक्री करने हेतु पास पड़ोस में चर्चा चलाये तथा अन्य व्यक्तियों से बातचित किये। परिणाम स्वरूप कई क्रेतागण आये तथा अलग-अलग मूल्यांकन किये। इसी प्रकार लेख्यधारी श्री विनायक शर्मा भी आये एवं हमदोनो पक्ष अर्थात् बिक्रेता एवं क्रेता के बीच बिक्रय भूमि का कुल कीमत 10,00,000 (दस लाख रुपये)। में तय हुआ। यह कीमत अन्य क्रेतागण के अलावा अधिक वो वर्तमान समय के मुताबिक उचित है। मैं वाजिब मूल्य को देखकर उपर्युक्त क्रेता के साथ जमीन का पक्का सौदा तय कर दिये। जो हर दृष्टिकोण से उचित वो न्यायसंगत है।

मैं अपनी तन मन की पूरी सेहत में हूँ, हमें लेख्यधारी (श्री विनायक शर्मा) के द्वारा किसी भी प्रकार की जोर दबाव नहीं है, मैं अपने स्वेच्छा तथा हार्दिक प्रसन्नता से अपना खरीदगी जमीन मौजा रजवाडीह का मवाजी 0-11 डी0 (ग्यारह) डी0 जमीन लेख्यधारी श्री विनायक शर्मा के साथ बिक्री किये और कुल जरसम्मन की राशि प्राप्त कर अपना सम्पूर्ण स्वामित्व, हक वो हकियत वो दखल कब्जा, सुविधायें वर्तमान में थी अथवा भविष्य में प्राप्त होती सो सब ज्यों के त्यों यथावत लेख्यधारी (श्री विनायक शर्मा) को सौंप कर जमीन का मालिक (स्वामी) बना दिए, तथा दखल-कब्जा भी दे दिये। क्रेता को आज के तिथि से ही सम्पूर्ण हकियत हक वो संपूर्ण

अधिकार विद्यमान हो गई तथा मैं इनके दखल-कब्जे को पूर्णरूप से सम्पूष्ट करता हूँ।

उपर्युक्त जमीन पर क्रेता खुद मय वारिसान अपना दखल कब्जा कर जिस सुरत से चाहें, उपयोग करे तथा चाहरदीवारी दे या नाली निर्माण कराये अथवा गृह निर्माण कर निवास या व्यवसाय करे या समयानुकूल रेहन, दान, बिक्री इत्यादि अर्थात् क्रेता अपना जो उचित मुनासिब समझे सो करे इसके लिए हमें या हमारे किसी भी वारिसान को कुछ भी उज्र या ऐतराज नहीं है और न ही भविष्य में कभी आपत्ति होगी। यदि करते है तो मेरे द्वारा लिखी गई बिक्रय पत्र केवाला के विरुद्ध गैर कानूनी वो नाजायज समझा जायेगा। जो ब मुकाबले बे-असर होगी।

मैं अपना बिक्रय भूमि का कुल कीमत पहले ही लेख्यधारी श्री विनायक शर्मा के द्वारा बैंकिंग प्रणाली के माध्यम ड्राफ संख्या 4161.... के द्वारा मो0 10,00,000 (दस लाख रूपये) शाखा बैंक ऑफ इंडिया, मेदिनीनगर, पलामू से वसूल पा चुका हूँ। अब कीमत मद में क्रेता (श्री विनायक शर्मा) के पास कुछ भी पाना शेष नहीं रहा।

मैं लेख्यधारी को यह विश्वास दिलाये हूँ कि उपरोक्त वर्णित सम्पति न सरकारी सम्पति है और ना ही सरकार के द्वारा सैनिक अथवा असैनिक कार्यों के लिए अधिग्रहण किया गया है और यह सम्पति बी0 सी0 सी0 एल0 एवं ई0 सी0 सी0 एल0 तथा रेलवे की सम्पति नहीं है। इस सम्पति को किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान के लिए अर्जित नहीं किया गया है और ना ही यह बंधक में रखा गया है। यह सम्पति सिलिंग से मुक्त है और मठ, मंदिर, गिरिजाघर, मस्जिद गुरुद्वारा, आदिवासी खाते, कन्स्ट्रक्शन, स्कूल, कॉलेज इत्यादि की नहीं है।

अब लेख्यधारी को चाहिए कि अपने नाम की वसिका निबंधिन होने के पश्चात झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल कार्यालय

श्री विनायक शर्मा
22.9.2020

मेदिनीनगर, जिला पलामू में पेश कर स्वयं अपने नाम से नामांतरण करालें तथा सलाना मालगुजारी की रसीद प्राप्त किया करें।

अतः मैं अपनी स्वेच्छा वो हार्दिक प्रसन्नता से अपना खरीदगी जमीन का बिक्रय पत्र केवाला लेख्यधारी (श्री विनायक शर्मा पिता का नाम श्री लक्ष्मी कुमार शर्मा) के पक्ष में लिख दिये कि समय पर काम आवे एवं भविष्य में प्रमाण मौजूद रहें।

आज दिनांक- 22.09.2020
टंकक

सुनिल कुमार

Vinayak Sharma
22.09.2020



अंगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा

मैं दोनों पक्षगणों के निर्देशानुसार यह बिक्रय पत्र तैयार किया एवं वसिका अन्दर वर्णित मजमून दोनों पक्षगणों के सामने पढ़ कर समझा दिया। दोनो पक्षगण बोले ठीक है। तथा बिक्रय पत्र में जिन-जिन व्यक्ति की छाया चित्र लगी हुई है इन लोगों के बाये हाथ के सभी अंगुलियों का निशान मेरे सामने लिया गया है।

कातिब- श्री. सुनील कुमार राधाकृष्ण किशोर दस्तावेज